:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सीमलवाडा जिला डूँगरपूर राजस्थान ::

पीठासीन अधिकारी :– अनील कुमार जैन

मूकदमा नम्बर 23/20 राजस्व वाद

1. मणीलाल पिता कचरीया जाति चमार उम्र वयस्क निवासी धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज

वादी

बनाम

1. धुली पत्नी कुरीया जाति चमार
2. नगजी पुत्र खेमा जाति चमार
3. रमणलाल पुत्र खेमा जाति चमार
4. रमशे पुत्र कचरीया जाति चमार
5. हीम्मत पत्नी खेमा जाति चमार उम्र वयस्क निवासीयान धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
6. विवेक पुत्र लालशंकर जाति चमार उम्र वयस्क
7. परेश पुत्र लालशंकर जाति चमार उम्र वयस्क निवासीयान धम्बोला तहसील सीमलवाडा जिला डूँगरपुर राज
8. श्रीमान् लेण्ड होल्डर जरीए तहसीलदार सीमलवाडा जिला. डूँगरपुर राज

प्रतिवादीगण

उपस्थित :–

1 श्री मनीष कुमार कलाल अधिवक्ता वादी

:: निर्णय ::

दिनांक 28-12-20

1. (1) **प्रकरण के संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि** यह कि वादि एवं प्रतिवादी स. 1 से 7 की खातेदारी कब्जे काश्त की भूमि गॉव धम्बोला के खाता सख्या 671 के खसरा सख्या 3318 का कुल रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि है। खातेदार लालशंकर पुत्र खेमा का देहान्त हो चुका है ऐसे में उनके पुत्र प्रतिवादी सख्या 6 एवं 7 को पक्षकार बनाया गया है। उक्त खाते में वादी का नाम राजस्व कर्मीयो द्वारा मणीया एवं वादी के पिता नाम कचरीया दर्ज कर लिया है जबकि वादी का सही एवं दस्तावेजी नाम मणीलाल एवं उसके पिता सही नाम कचरू है जो मणीया के स्थान पर मणीलाल एवं कचरीया के स्थान पर कचरू दर्ज किया जाना आवश्यक है। कि अभी दिनांक 16/03/20 को वादी द्वारा हाल जमाबन्दी निकलवाने पर हाल जमाबन्दी में वादी का नाम मणीया दर्ज होने की जानकारी हुई ऐसे में वाद हेतुक उपत्पन्न हुआ है जो निरन्तर उत्पन्न हो रहा है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादीगण को तलब किया गया, प्रतिवादी रमेश पिता कचरू उपस्थित हुआ, अन्य पक्षकार के विरूध किसी प्रकार का कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है, प्रतिवादी रमेश एवं वादी ने राजीनामा पेश किया तथा वादी का नाम मणीलाल एवं वादी मणीलाल एवं प्रतिवादी रमेश के पिता का नाम कचरू दर्ज करने का राजीनामा पेश किया।

पत्रावली का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया।

आदेश

अतः गॉव धम्बोला के खाता सख्या 671 के खसरा सख्या 3318 का कुल रकबा 0.1862 हैक्टेयर भूमि में वादी का जमाबन्दी में दर्ज नाम मणीया के स्थान पर सही एवं दस्तावेजी नाम मणीलाल दर्ज करने एवं वादी मणीलाल एवं प्रतिवादी रमेश के पिता का जमाबन्दी में दर्ज नाम कचरीया के स्थान पर कचरू दर्ज करने की आज्ञा दी जाती है, तहसीलदार तहसील सीमलवाडा आदेश की पालना कर पालना रिपोर्ट न्यायालय में पेश करे।

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड सीमलवाडा

यह निर्णय आज दिनांक 28-12-20 को खुले न्यायालय में सुनाया गया है।

अनील कुमार जैन

उपखण्ड अधिकारी